

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला-उदयपुर

प्रार्थी :- श्री गेहरीलाल

विपक्षी :- श्री उदयलाल

किस्म मुकदमा - 53 रा.का.अ.

पत्रावली संख्या : 142/16

क्रमांक	कार्यवाही विवरण					हस्ताक्षर वादी को सुनाने जारी की गई
	<p>दिनांक : 29.05.2023</p> <p>पत्रावली प्रशासन गांवो के संग अभियान-2023 कैम्प चन्देसरा में पेश हुई। अधिवक्ता वादी मय वादी उपस्थित। तहसीलदार मावली से पीडी पालना प्राप्त होकर शामिल फाईल है। अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार अन्तिम किया जाने का निवेदन किया। प्रतिवादी सं. 1 से 7 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरुद्ध पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं।</p> <p>हमने प्रकरण का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता वादी मय वादी की बहस पर मनन किया। तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना का अवलोकन किया। अधिवक्ता वादी मय वादी द्वारा पीडी पालना पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं कर तहसीलदार मावली से प्राप्त पीडी पालना पर सहमति व्यक्त कर मौके पर काश्तकारों के आने जाने के लिए रास्ते की भी सहूलियत होना बताकर प्रस्ताव अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमत हैं। अतः अधिवक्ता वादी द्वारा पीडी पालना पर सहमत होने से वाद वादी स्वीकार योग्य पाया जाता हैं। वादी से बंटवाडा शुल्क 100/- अक्षरे एक सौ रूपये स्टाम्प वसूल कर शामिल फाईल किया जावे।</p> <p>परिणामस्वरूप वादी का वाद स्वीकार किया जाता हैं कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा की निम्न आराजीयात का बंटवाडा निम्नानुसार अन्तिम किया जाता हैं :-</p>					
क्र	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	गेहरीलाल, उदयलाल, निलकंठ, सुन्दरलाल, पुष्पाबाई पिता गंगाराम, मगनीबाई पत्नी गंगाराम ब्रा. सा. देह खातेदार	1579 1534 मी.	0.0567 0.0283	जा.उ. 0.0162 चा.उ. 0.0405 चा.उ. 0.0162 जा.उ. 0.0121	0.35 1.75 0.77 0.27	
	योग	किता 02	0.0850	-	3.07	
2	मगनीराम पुत्र हेमराम ब्रा. सा. देह खातेदार	1578 1534/1	0.0567 0.0284	चा.उ. जा.उ. 0.0284	2.45 0.61	
	योग	किता 2	0.0851	-	3.06	
	<p>नोट- उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। अन्तिम डिक्री अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार मावली को लिखा जाकर पत्रावली फाईल सुमार होकर नम्बर से कम हो।</p> <p>निर्णय खुले न्यायालय सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(श्रीकान्त व्यास) सहायक कलक्टर (SDO) मावली</p>					



अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला—उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्रीकान्त व्यास, R.A.S

मुकदमा नम्बर : 142/16 (वाद) GCMS No. : 2016/00402

उनवान

1. श्री गेहरीलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण निवासी चन्देसरा तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री उदयलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
2. श्री निलकण्ठ पिता गंगाराम ब्राह्मण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
3. श्री सुन्दरलाल पिता गंगाराम ब्राह्मण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
4. श्रीमती पुष्पाबाई पुत्री गंगाराम पत्नी मथुरालाल ब्राह्मण निवसी माणक्यावास तह. मावली।
5. श्रीमती मगनीबाई पत्नी गंगाराम ब्राह्मण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
6. श्री मगनीराम पिता हेमराज ब्राह्मण निवासी चन्देसरा तह. मावली।
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 29.05.2023 को श्रीकान्त व्यास, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और अन्तिम डिक्री दी जाती है कि मौजा चन्देसरा पटवार हल्का चन्देसरा की निम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
1	गेहरीलाल, उदयलाल, निलकंठ, सुन्दरलाल, पुष्पाबाई पिता गंगाराम, मगनीबाई पत्नी गंगाराम ब्रा. सा. देह खातेदार	1579 1534 मी.	0.0567 0.0283	जा.उ. 0.0162 चा.उ. 0.0405 चा.उ. 0.0162 जा.उ. 0.0121	0.35 1.75 0.77 0.27
	योग	किता 02	0.0850	—	3.07
2	मगनीराम पुत्र हेमराम ब्रा. सा. देह खातेदार	1578 1534/1	0.0567 0.0284	चा.उ. जा.उ. 0.0284	2.45 0.61
	योग	किता 2	0.0851	—	3.06

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 29.05.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(श्रीकान्त व्यास)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली